

भा.कृ.अ.प.- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

पूसा, नई दिल्ली - 110012

पत्रांक 14-2/2017 सुरक्षा अनुभाग

दिनांक: 04.05.2018


परिपत्र

संस्थान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था एवं आवागमन व्यवस्थाओं में आ रही विभिन्न कठिनाइयों के निराकरण तथा संस्थान के विभिन्न अनुभागों/ संभाग अध्यक्षों से प्राप्त सूचनाओं जिसमें की विभिन्न वैज्ञानिक/ अधिकारियों/ कर्मचारी के कार्यालय समेत पश्चात इंद्रपुरी गेट से आवाजाही बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं, पर निदेशक महोदय के अनुमति पश्चात निम्न निर्णय लिए गए हैं :

1. इंद्रपुरी गेट से कार्यालय समय पश्चात आवाजाही हेतु पूर्व में दी गयी सभी विशेष अनुमति (यो) के अधिक्रमण में अब यह निर्णय लिया गया है की गेट खोलने के लिए निर्धारित समय पश्चात / अतिरिक्त अन्य समय में किसी भी व्यक्ति को इंद्रपुरी गेट से आवाजाही की अनुमति (परिचय पत्र दिखाकर) नहीं होगी। यद्यपि एम्बुलेंस, बीमार व्यक्ति या अग्निशामक वाहन विशेष परिस्थिति में गेट कभी भी खोला जा सकेगा।
2. संस्थान पर कार्यस्थल पर आने के लिए इंद्रपुरी गेट प्रातः 8:30(am) से 10:00 (am) तक खुलेगा तथा भोजन अवकाश में 1:00(pm) से 2:00(pm) तक खुला रहेगा इसी प्रकार कार्य समय पश्चात जाने के लिए इंद्रपुरी गेट शाम 4:30(pm) से 6:30(pm) तक खुलेगा।
3. उन अधिकारियों / वैज्ञानिक/ कर्मचारियों के लिए जो मुख्य परिसर से बाहर रहते हैं लेकिन सरकारी कार्य हेतु कार्यालय समय पश्चात भी कार्यस्थल पर रहेंगे उनके जाने के लिए इंद्रपुरी गेट शाम 7:30 (pm) से 8:00(pm) तक खोला जाएगा। यद्यपि इस हेतु उन्हें अपना परिचय पत्र सुरक्षा कर्मी को दिखाना होगा। तत्पश्चात रात्रि 9:30 (pm) से 5:30(am) सुबह तक इंद्रपुरी गेट संस्थान के कर्मचारियों एवं उनके संबंधियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जांच के पश्चात खोला जायेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त समय पश्चात कृषि कुंज/ इंद्रपुरी क्षेत्र में जाने के लिए परिसर का टोडापुर गेट प्रातः 5:30(am) से रात्रि 9:30(pm) तक खुला रहेगा तथा सुरक्षा में तैनात कर्मचारी उनसे पूछताछ कर सकते हैं।
5. उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ साथ संस्थान के सभी वैज्ञानिक/ अधिकारी/ कर्मचारियों का ध्यान परिपत्र संख्या 14-8/2017- सुरक्षा दिनांक 02.02.2018, 23.02.2018 की ओर उन्हें आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा उनसे यह निवेदन किया गया है की वे अपने व्यक्तिगत वाहनों पर संस्थान के सुरक्षा अनुभाग द्वारा जारी किये जाने वाले sticker (logo) लगवा लेवे। यदि किसी के द्वारा यह कार्यवाही अबतक नहीं कि गई है तब इसे प्राथमिकता पर एक सप्ताह में अवश्य करवा लिया जाये। sticker (logo) सुरक्षा अनुभाग में उपलब्ध है।

उपरोक्त व्यवस्थाएँ संस्थान परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक हैं एवं संस्थान के सभी वैज्ञानिक/ अधिकारी/ कर्मचारी/ से सहयोग कि अपेक्षा कि जाती है।

यह निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किया गया है।


04.05.2018
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. निजी सचिव - निदेशक / JD(R)/ JD(A)/ JD(E)/ C.A.O (P)
2. सभी संभागाध्यक्ष कृपया सभी वैज्ञानिक/ अधिकारी/ कर्मचारियों स्टाफ को उक्त परिपत्र नोट कराए एवं इसकी अनुपालन सुनिश्चित कराये।
3. निदेशक कार्यालय के सभी अनुभाग / सूचनार्थ / कृपया परिचालन कराये।
4. इंचार्ज AKMU कृपया वेबसाइट अपलोड करें। 5. सुरक्षा प्रभारी उचित अनुपालन सुनिश्चित करे तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 6. गार्ड फाइल

संस्मरण-2 (अतितत्काल)



Security Section, Directorate सुरक्षा अनुभाग, निदेशालय
भा.कृ.अनु.पं.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
पूसा, नईदिल्ली- 110012, Pusa, New Delhi-110012



मि.संख्या. 14-41/2022/Security/53


दिनांक:- 09.05.2022

कार्यालय आदेश

सुरक्षा अनुभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 14-41/2021/सुरक्षा/706 दिनांक 23.03.2022 एवं कार्यालय आदेश संख्या 14-41/2021/सुरक्षा/ दिनांक 30.03.2022 के पत्र का अवलोकन करते हुए पुनः सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार सभी संभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्षों से यह अनुरोध किया जाता है कि अपने वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के परिवार सदस्यों का पूर्ण ब्योरा सलग्न प्रपत्र में भरवा कर एवं स्वयं सत्यापित कर 3 दिनों के भीतर (on priority basis) सुरक्षा प्रभारी को अग्रेषित करें ताकि पहचान पत्र बनाने की कार्यावाही जल्द से जल्द पूर्ण की जा सके।

चूंकि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार यह पहले भी सूचित किया जा चुका है कि संस्थान की सुरक्षा की दृष्टिकोण से संस्थान में कार्यरत आवासीय कॉलोनी में रहने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के परिवार सदस्यों का पहचान पत्र बनाना/पहनना अनिवार्य (Mandatory) है।

अतः संस्थान परिसर की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

निसूचनार्थ :-

1. सभी संभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्षों कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के परिवार सदस्यों का पहचान पत्र बनाने का ब्योरा सही एवं पूर्ण है।
2. परियोजना निदेशक / परियोजना समन्वयक/अध्यक्ष पुस्तकालय सेवाएं, मास्टर ऑफ हाल्स, स्नातकोत्क छात्रावास / सभी छात्रावास / चिकित्सा अधिकारी, भा.कृ.अनु.संस्थान।
3. व्यक्तिगत सहायक/निदेशक/डीन व संयुक्त निदेशक (शिक्षा)/संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)/संयुक्त निदेशक (प्रसार)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/प्रधान वैज्ञानिक (आर0 पी0 सी0) /मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के वैयक्तिक सहायक/सभी अधिकारी/निदेशक कार्यालय के सभी अनुभाग
4. लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी, भा.कृ.अनु.संस्थान।
5. आवासीय कॉलोनी के प्रधान / सचिव।
6. निदेशक, एन.आई.पी.बी. / एन.सी.आई.पी.एम / एन.बी.पी.जी.आर. पूसा परिसर।
7. प्रभारी, ऐ.के.एम.यु को इस अनुरोध के साथ कि वह इस परिपत्र को भा.कृ.अनु.संस्थान वेबसाइट पर शीघ्र अपघटीत कराये।
8. सुरक्षा अधिकारी, को पहचान पत्र संबंधी आवश्यक कार्यावाही हेत।



Security Section, Directorate सुरक्षा अनुभाग, निदेशालय
भा.कृ.अनु.पं.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
पूसा, नईदिल्ली- 110012, Pusa, New Delhi-110012



मिसिल संख्या: 14-45/2021-सुरक्षा कक्ष/ 816

दिनांक: 28/09/2022

परिपत्र

भा.कृ.अ.पं.-भा.कृ.अ.सं. के पृष्ठांकन संख्या 28-19/5 Day Week/E&P-2022, दिनांक 27/09/2022 के द्वारा संस्थान में 05 दिन कार्य दिवस लागू होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, भा.कृ.अ.सं. के अनुमोदन से संस्थान के इंद्रपुरी, पटेल नगर एवं टोडापुर द्वार खुलने एवं बंद होने की समय सारिणी में परिवर्तन किया गया है जिसे दिनांक 01/10/2022 से लागू किया जाएगा। परिवर्तित समय सारिणी निम्नलिखित है:

इंद्रपुरी द्वार का परिवर्तित समय

- प्रातः 08:30 से प्रातः 09:15 बजे तक
- दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
- सांय 05:30 से सांय 07:30 बजे तक
- सांय 07:30 बजे से रात्रि 09:30 बजे तक इंद्रपुरी द्वार बंद रहेगा।
- रात्रि 09:30 बजे से प्रातः 05:30 बजे तक इंद्रपुरी द्वार बंद रहेगा किन्तु सुरक्षा जांच के आधार पर कर्मचारियों एवं उनके रिश्तेदारों के लिए खोला जाएगा।

पटेल नगर द्वार का परिवर्तित समय

- प्रातः 08:30 बजे से प्रातः 09:15 बजे तक
- सांय 05:30 से 06:30 बजे तक

टोडापुर द्वार पूर्व की भांति रात्रि 09:30 बजे से प्रातः 05:30 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा

नोट: इंद्रपुरी द्वार आपातकालीन परिस्थितियों जैसे AMBULANCE एवं अग्निशमक वाहन के लिए कभी भी खोला जा सकता है।

प्रतिसूचनार्थ :-

1. प्रभारी ए.के.एम.यू. को इस अनुरोध के साथ कि वह इस परिपत्र को भा.कृ.अनु.पं. वेबसाइट पर शीघ्रता से अपलोड करवाए।
2. सुरक्षा प्रभारी, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सुरक्षा)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सुरक्षा)

Asstt. Admn. Officer (Security)

भा.कृ.अ.पं.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली / New Delhi-110012

Prasad
28-9-22